

140
25/10/2019 (Authoritative English text of this department Notification No. UD-A(3)-14/2015 dated 24/10/2019 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India)

Government of Himachal Pradesh
Department of Urban Development

No: UD-A(3)-14/2015

Dated: 24/10/2019

NOTIFICATION

In partial modification of this department notification of even No. dated 11/08/2016 and in exercise of the powers conferred by section 3 of the Himachal Pradesh Public Services Guarantee Act, 2011, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to amend Column No. (7) (time limit for service) at Sr. No.7 (a) and 7(c) for the Department of Urban Development, Himachal Pradesh as under :-

S.N.	Name of service/public service	Designated Officer	Format of the application to obtain service	List of documents required to obtain service	Person who can request for service	Time limit for service	First Appellate Authority	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Building Plan/ Planning permission /map							
a	Fresh planning permission	A.P. M.Corp/ EO,MC/ Secy, NP	On prescribed form.	As prescribed in the Form	Owner of the property	30 days	Commr. of the Corp/SDM concerned	Fee as prescribed by the municipality concerned
c	Completion plan (after completion of building in all respect)	A.P. M.Corp/ EO,MC/ Secy, NP	On prescribed form.	As prescribed in the Form	Owner of the property	15 days	Commr. of the Corp/SDM concerned	Fee as prescribed by the Municipality concerned

By Order

C. PAULRASU

Secretary(UD) to the
Government of Himachal Pradesh

Endst. No. UD-A(3)-14/2015 dated: Shimla-2 the 24/10/19

Copy for information and necessary action is forwarded to :

1. The Pr. Secretary to Chief Minister, H.P. Shimla-2
2. The Addl. LR (Leg.) to the Govt. of H.P., Shimla-2
3. The Sr. Private Secretary to Chief Secretary, H.P. Shimla-2
4. All the Administrative Secretaries to the Govt. of HP. Shimla-2
5. The Secretary (AR) to the Govt. of HP. Shimla-2
6. The Director, Urban Development, HP, Pallika Bhawan Talland, Shimla-2.
7. The Commissioner, Municipal Corporation, Shimla & Dharamshala.

(Surjeet Singh Rathore)

Joint Secretary(UD) to the
Government of Himachal Pradesh

141

हिमाचल प्रदेश सरकार
शहरी विकास विभाग

संख्या: यु0डी0-ए(3)-14/2015 शिमला -2

तारीख

24-10-2019

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना संख्या तारीख 11-08-2016 के आंशिक उपांतरण में और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश शहरी विकास विभाग के लिए कम संख्या 7(क) और 7(ग) में स्तम्भ संख्या (7) (सेवा के लिए समय सीमा) का निम्न संसोधन करते हैं, अर्थात :-

क्रम संख्या	सेवा/लोक सेवा का नाम	पदाभिहित अधिकारी	सेवा प्राप्त करने के लिए आवेदन का प्रपत्र(फॉर्मेट)	सेवा प्राप्त करने के लिए अपेक्षित दस्तावेजों की सूची	व्यक्ति जो सेवा के लिए आवेदन कर सकेगा	सेवा के लिए समय सीमा	प्रथम अपील प्राधिकारी	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	भवन योजना (प्लान)/ योजना (प्लान) की अनुज्ञा/नक्शा							
क	नई योजना की अनुज्ञा	वास्तुकार योजनाकार (ए0पी0), नगर निगम / कार्यकारी अधिकारी, नगरपालिका परिषद/सचिव, नगर पंचायत	विहित प्ररूप पर	जैसी प्ररूप में विहित है	सम्पत्ति का स्वामी	30 दिन	आयुक्त, नगर निगम /सम्बद्ध उप-मण्डल मजिस्ट्रेट	सम्बद्ध नगरपालिका द्वारा यथा विहित फीस
ग	समापन योजना (कम्प्लीशन प्लान) सभी प्रकार से भवन के पूर्ण होने के पश्चात	वास्तुकार योजनाकार (ए0पी0), नगर निगम / कार्यकारी अधिकारी, नगरपालिका परिषद/सचिव, नगर पंचायत	विहित प्ररूप पर	जैसी प्ररूप में विहित है	सम्पत्ति का स्वामी	15 दिन	आयुक्त, नगर निगम/ सम्बद्ध उप-मण्डल मजिस्ट्रेट	सम्बद्ध नगरपालिका द्वारा यथा विहित फीस

आदेश द्वारा
सी पालरासु
सचिव (शहरी विकास)
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

पृष्ठांकन संख्या : यु0डी0-ए(3)-14/2015 शिमला-2

तारीख


24/10/2019

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 प्रधान सचिव मुख्यमन्त्री हिमाचल प्रदेश शिमला-2
- 2 विधि परामर्शी एवं प्रधान सचिव(विधि) , हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला-2

142

- 3 वरिष्ठ निजि सचिव , मुख्य सचिव , हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला-2
- 4 समस्त प्रशासनिक सचिव , हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला-2
- 5 संयुक्त विधि परामर्शी एवं संयुक्त सचिव(विधि राजभाषा), हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला-2
- 6 सचिव , प्रशासनिक सुधार हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला-2
- 7 निदेशक ,शहरी विकास विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला-2
- 8 आयुक्त , नगर निगम शिमला एवं धर्मशाला हिमाचल प्रदेश।


(सुरजीत सिंह राठौर)
संयुक्त सचिव (शहरी विकास)
हिमाचल प्रदेश सरकार